न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (S.D.O.) शिवगंज, जिला–सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थी
सरपंच, ग्राम पंचायत पालडीएम	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व प्रा0पत्र संख्या 37/2025

–:निर्णय:– दिनांक 27.05.2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थी का इस आशय का पेश किया कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, सिरोही के आदेश क्रमांक/प.121(3)(60)214/2013/3150–57 दिनांक 14–06–20213 द्वारा ग्राम वेरावीलपुर में आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटित की जाने से ग्राम वेरावीलपुर का नामान्तरण संख्या 422 दिनांक 11.01.2014 दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण द्वारा खसरा नम्बर 115/26 का 2 टुकडों में विभाजन हुआ। मूल खसरा नम्बर 115/26 एवं आवंटित आबादी कर नया खसरा नम्बर 223/26 बना। वक्त सेग्रिगेशन भू–नक्शा में तरमीम के उपरांत बिना नम्बर के टुकडे में मूल खसरा नम्बर 115/26 का अंकन कर दिया गया जो त्रुटीपूर्ण है साथ ही मूल नम्बर 115/26 के स्थान पर खसरा नम्बर 143/22 का अंकन कर दिया गया है। जबकि खसरा नम्बर 143/22 अन्य स्थान पर भी अंकित है जो संलग्न नक्शें में पीले रंग से दर्शित है तथा त्रुटीपूर्ण अंकित खसरा नम्बर 143/22 जिसके स्थान पर मूल खसरा नम्बर 115/26 का अंकन किया जाना है उसमें वर्तमान ऑनलाईन नक्शें में मूल खसरा नम्बर 115/26 दर्शाया गया है जो त्रुटीपूर्ण है, इसमें नया खसरा नम्बर दिया जाना है। वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में दर्शित खसरा नं0 115/26 के स्थान पर नया खसरा नं0 अंकित किया जावे तथा खसरा नं0 143/22 के स्थान पर 115/26 दर्ज किया जाने का आदेश करावे।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने उनके पत्र कमांक कोर्ट/2025/305 दिनांक 16.05.2025 को रिपोर्ट में अवगत कराया है कि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, सिरोही के आदेश क्रमांक /प.121 (3)(60)214/2013/3150–57 दिनांक 14–06–2013 द्वारा ग्राम वेरावीलपुर में आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटित की जाने से ग्राम वेरावीलपुर का नामान्तरण संख्या 422 दिनांक 11.01.2014 दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण द्वारा खसरा नम्बर 115/26 का 2 टुकड़ों में विभाजन हुआ। मूल खसरा नम्बर 115/26 एवं आवंटित आबादी कर नया खसरा नम्बर 223/26 बना जबकि इस नामान्तरकरण के द्वारा आबादी दर्ज होने पर नक्शा लट्ठा में खसरा नम्बर 115/26 का 3 टुकडो में विभाजन हुआ तथा एक टुकडे पर नामान्तरकरण में लिपिकीय त्रुटी के कारण खसरा नम्बर का अंकन शेष रहा। वास्तविक रूप से राजस्व रेकर्ड नक्शा लटठा में खसरा नम्बर 115/26 में से आबादी आवंटन होने से तीन टूकडे दर्शाये गए हैं। आवंटित आबादी खसरा नम्बर 223/26 के दक्षिण पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 115/26 दर्शाया गया है तथा खसरा नम्बर 223/26 के उत्तर पूर्व में मूल खसरा नम्बर 115/26 का टुकडा तीसरा बना है, जिसमें खसरा नम्बर का अंकन ही नहीं किया गया। इसके उपरांत वक्त सेग्रिगेशन भू–नक्शा में तरमीम के उपरांत बिना नम्बर के टुकडे में मूल खसरा नम्बर 115/26 का अंकन कर दिया गया जो त्रुटीपूर्ण है साथ ही मूल नम्बर 115/26 के स्थान पर खसरा नम्बर 143/22 का अंकन कर दिया गया है। जबकि खसरा नम्बर 143/22 अन्य स्थान पर भी अंकित है जो संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शित है तथा त्रुटीपूर्ण अंकित खसरा नम्बर 143/22 जिसके स्थान पर मूल खसरा नम्बर 115/26 का अंकन किया जाना है उसको केसरी रंग से दर्शाया गया है। जिस टुकडे को नया नम्बर दिया जाना है वो नक्शा लठ्ठा में बिना नम्बर है. उसको हरे रंग से दर्शाया गया है। उसमें ऑनलाईन नक्शें में मूल खसरा नम्बर 115/26 दर्शाया गया है जो त्रुटीपूर्ण है, इसमें नया खसरा नम्वर दिया जाना है। खसरा नम्बर 115/26 रकबा 22.3548 हैक्टयर में से 0.5503 हैक्टयर (3.08 बीघा) रकवा कम किया जाकर नक्शे लटते में रिक्त खसरा नम्बर जिसका नया खसरा नम्वर अंकित किया जाना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:05:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

लगातार पेज–2

प्र0सं0–37/2025
सरपंच पालडीएम बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

उसका रकबा 0.5503 हैक्टयर दर्ज किया जाने पर राजस्व रेकर्ड शुद्ध होगा। वर्तमान ऑनलाईन नक्शे में दर्ज हरे रंग से दर्शित खसरा नम्बर 115/26 के स्थान पर नया खसरा अंकित किया जाना, ऑनलाईन नक्शे में केसरी रंग से दर्शित 143/22 के स्थान पर 115/26 दर्ज किया जाना एवं पीले रंग से दर्शित 143/22 को यथावत रखा जाना आवश्यक है।

तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जवाब पर प्रार्थी की बहस को सुना गया। बहस के दौरान प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराकर ऑनलाईन नक्शें में हुई त्रुटि को शुद्ध किये जाने का निवेदन किया गया। हमनें प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन व उस पर मनन किया तो हमने पाया कि दस्तावेजी साक्ष्यों से भी प्रार्थी के कथन की पुष्टि होती है अतः हम वर्तमान तरमीम को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित समझते है।

–::आदेश::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान तरमीम को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में **मौजा वेरावीलपुर पटवार हल्का पालडी एम तहसील शिवगंज के** वर्तमान प्रस्तावित नक्शे में दर्ज हरे रंग से दर्शित खसरा नम्बर 115/26 के स्थान पर नया खसरा अंकित किया जावे, प्रस्तावित नक्शे में केसरी रंग से दर्शित 143/22 के स्थान पर 115/26 दर्ज किया जावे एवं पीले रंग से दर्शित 143/22 को यथावत रखा जाने का आदेश दिया जाता है। **तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तावित नक्शा को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है। तदअनुसार तरमीम त्रुटि को दुरूस्त किया जावे। स्वीकृत प्रस्तावित नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावेगा।** तहसीलदार शिवगंज को उक्त आदेश तथा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नं0 से खारिज हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(नीरज मिश्र, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 306
प्रतिलिपि पालनार्थ हेतु :–
तहसीलदार शिवगंज ।

दिनांक 27.05.2025

उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:05:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तावित नक्शा

मौजा ·बेरावीलपुर

तह - शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

संकेत

1 - प्रस्तावित नक्शा खसरा नं. (0.5503 हे.)

2 - प्रस्तावित खसरा नं. 115/26 (रकबा 2.1804 हे.)

3 - प्रभावित कृषि खसरा (143/22) (0.7689 हे.)

[redacted] (भू०अ०)
तहसील शिवगंज (सिरोही)

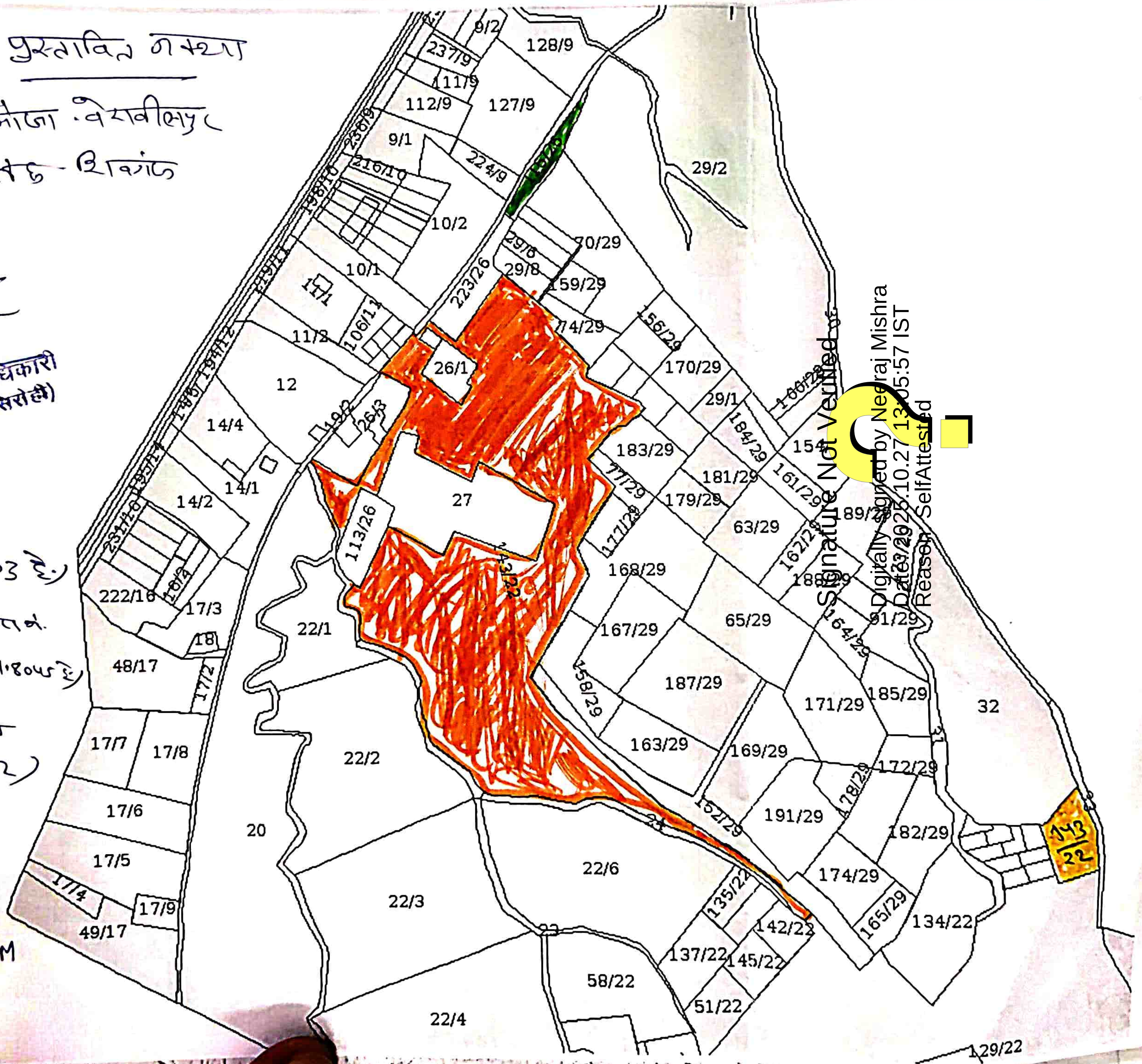

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:05:57 IST
Reason: SelfAttested